

an>

Title : Papers laid on the Table of the House by Ministers / Members.

माननीय सभापति : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

आइटम नंबर 2 से 7 तक – श्री अर्जुन राम मेघवाल जी ।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति महोदय, श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणी।

[Placed in Library, See No. LT4555/17/21]

(ख) (एक) वैष्कोस लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) वैष्कोस लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणी ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT4556/17/21]

(3) (एक) नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT4557/17/21]

(5) (एक) पोलावरम प्रोजेक्ट अथॉरिटी, हैदराबाद के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पोलावरम प्रोजेक्ट अथॉरिटी, हैदराबाद के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT4558/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति महोदय, श्री राज कुमार सिंह जी की ओर से, मैं

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) (एक) केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बैंगलुरु के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बैंगलुरु के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT4559/17/21]

(3) दामोदार घाटी निगम अधिनियम, 1948 की धारा 59 की उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी दामोदर घाटी निगम (निगम के अध्यक्ष, सदस्यों और सदस्य-सचिव के वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें) (संशोधन) नियम, 2020, जो 11 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.106(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT4560/17/21]

(5) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) (पहला संशोधन) विनियम, 2020 जो 3 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एल-1/236/2018/सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (शुल्क का भुगतान) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020 जो 2 नवम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एल-1/160/2020/सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति का विनियमन) (पहला संशोधन) विनियम, 2021 जो 12 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एल-1/42/2010/सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(चार) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (स्टाफ की भर्ती, नियंत्रण और सेवा शर्तें) (पांचवा संशोधन) विनियम, 2021 जो 23 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 2/2(2)/2011-स्था./सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत बाजार) विनियम, 2021 जो 16 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एल-1/257/2020/सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(छह) विद्युत (संशोधन) नियम, 2020 जो 31 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 817(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार) नियम, 2021 जो 22 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 128(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) दिल्ली के अलावा संघ-राज्यक्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें) संशोधन नियम, 2021 जो 15 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 488(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) संशोधन नियम, 2021 जो 29 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 448(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दस) सा.का.नि. 43(अ) जो 25 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे (केवल हिन्दी संस्करण) तथा जिनमें 31 दिसम्बर, 2020 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 818(अ) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।

[Placed in Library, See No. LT4561/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति महोदय, श्री श्रीपाद येसो नाईक जी की ओर से, मैं महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उप धारा (4) के अंतर्गत अधिसूचना सं. सा.का.नि. 359 (अ) जो 01 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दीनदयाल पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, ज्येष्ठता और प्रोन्नति) संशोधन विनियम, 2021 का अनुमोदन किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[Placed in Library, See No. LT4562/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति महोदय, जनरल (सेवानिवृत्त) डॉ. वी.के. सिंह जी की ओर से, मैं वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14क के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) वायुयान (दूसरा संशोधन) नियम, 2021 जो 13 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 327(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।
- (2) वायुयान (दुर्घटनाओं और घटनाओं की जांच) संशोधन नियम, 2021 जो 30 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में

अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 222(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण ।

[Placed in Library, See No. LT4563/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति महोदय, श्री कौशल किशोर जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) (एक) सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लोईज वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लोईज वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT4564/17/21]

(3) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 58 के अंतर्गत अधिसूचना सं. सा.का.नि. 471(अ) जो 06 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित विभिन्न उपयोगों/स्थानों के लिए देय प्रीमियम की पूर्व-निर्धारित दरों को अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT4565/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति महोदय, श्री निशीथ प्रामाणिक जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) (एक) नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेट्री, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेट्री, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT4566/17/21]

(3) राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय अधिनियम, 2018 की धारा 26 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना सं. एफ. सं. एनएसयू/अध्यादेश/2021 जो 24 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो दिनांक 18 जनवरी, 2021 को कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय के 26 अध्यादेशों और 2 विनियमों, के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT4567/17/21]

Developed and Hosted by **National Informatics Centre (NIC)**
Content on this website is published, managed & maintained by
Software Unit, Computer (HW & SW) Management. Branch, Lok
Sabha Secretariat

- [Home](#)
- [Members](#)
- [Business](#)
- [Questions](#)
- [Debates](#)
- [Papers Laid](#)

- [Legislation](#)
- [Committees](#)
- [SANSAD TV](#)
- [Intranet](#)
- [Secretariat](#)
- [PRIDE](#)

- [Recruitment](#)
- [SC/ST Reservation](#)
- [Conference](#)
- [Parliament Library](#)

- [About Parliament](#)
- [Photo Gallery](#)
- [Related Links](#)
- [RTI](#)
- [Tenders](#)
- [FAQ](#)

- [Speaker](#)
- [Dy. Speaker](#)
- [Leader of the House](#)
- [Panel of Chairpersons](#)
- [Contact Us](#)
- [Feedback](#)

- [Council of Ministers](#)
- [Publications of Ministries](#)
- [Parliamentary Procedures](#)
- [Journal of Parliamentary Information](#)
- **Visitor's Counter:118266474**

- [Copyright](#)
- [Privacy Policy](#)
- [Disclaimer](#)

- [Terms & Conditions](#)
- [Accessibility Statement](#)
- [Accessibility Options](#)
- [Feedback](#)
- [Site Map](#)